## Office of the District Collector Kangra at Dharamshala.

No. 17 MDRA Dated 27 Nov. 2014.

## WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Govt. of India's letter No.11-9/98-FC(pt.)dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (FRA,for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dt 5<sup>th</sup> Februry 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 00-14-70 Hect of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD Deptt. for c/o link road from Bhali to Bhaniyari KM o/o to 1/900 with the Juridiction of Bhali village of Distt Kangra.

## t is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 00-14-70 hect of forest land proposed Diversion. Copy of record of all Consultations and meetings of the Forest Rights Committee, Gram Sabha Sub Divisional Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to
- (b) the proposal for such diversion (with full detail of the project and its implications, in vernacular/local) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.
- (c) the Bhali Gram Sabha has certified that all formalities / process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent of the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Bhali is enclosed as annexure......
- (d) The discussion and decision on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present,
- (e) The diversion of forest land and for facilities managed by the Govt. as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha has been given their consent to it,
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguard as per section 3(1) of the FRA.

Encl. As above.

C Paul Rasu,IAS
Distt Collector
Kangra at Dharmshala

## Office of the Deputy Commissioner District Kangra (H.P.)

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the District Level Committee of Kangra District, constituted under FRA,2006 was held under the Chairmanship /Chairpersonship of Sh. Rakesh Sharma Add Distt Magistrate Kangra on 14-10-2014 at 11.00 A.M. at Dharmshala in which the application (s) claiming rights in 00-14-70 forest area under FRA 2006 of the following applicant, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee (s) of Sub- Division Kangra was discussed to consider the same for admission by the District Level Committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the following decisions were taken on application:

Name of Applicant Asstt Engineer, HPPWD Kotla, Distt Kangra

Decision(Admitted/Rejected

Admitted

Place: Dharmshala.

Deputy Commissioner-cum-Chairman

(C.Paulrasu.IAS)

District Level Committee, Kangra District.

No.1.722.../DRA, Dated: 27/2/14

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (CIVIL) JAWALI DISTT KANGRA HP.

Proceeding of the meeting of the Sub Divisional Level Committee constituted under Scheduled Tribes & other traditional Forest dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA)2006.

A meeting of the Sub Divisional Level committee of Jawali Sub Division, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Mr Mohan Datt Sharma SDO (Civil) Jawali on Dated 26-7-2014 at 10.00 A.M.at Jawali (place) in which the application (s) claiming rights in Nurpur forest area under FRA 2006,of the following applicant (s) duly processed and recommended by the Forest Right (s) of Bhali Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the Distt. Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, following decisions were taken on each application:-

No application regarding claim received from Forest Right Committee Bhali.

Decision/Recommended/not recommended.

After considering the resolution passed by Forest Right Committee Bhali the Sub Divisional Committee hereby recommend that Khasra Nos 316/1,339/1 Kita 2 Area measured 0-14-70 Situated in Mohal Bhali Mauza Bhali Tehsil Jawali Distt Kangra HP should be transferred in favour of HPPWD Jawali Division for construction of link Road Bhali to Bhaniari.Km 0/0 to1/900 Km.Further it is certified that no settlement claim is pending before the Sub Division Level Committee under Forest Act/Rule 2006.

Place: Jawali. Date:

a10:561 |SDWJ | al 4/08/2014

Sub Divisional Officer©
-cum-Chairman/Chairperson
SubDivisionalLevelCommittee
Jawali Sub Division.

8

Annexure-!

अनुस्मित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार्श की मान्यता) अधिनियम ,200 वन अधिकार समिति गाम समा गाला. प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या // CII)

दिनांक.....

र समिति ग्राम समा अलिं की बैठक आज दिनाब 6-67-2019 व्यक्षता में की गई जिसमें जनजाति यन अधिकार समिति ग्राम समा अगली ...... की अध्यक्षता में की गई जिसमें... और अन्य परम्पशगत यन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत निन् निक् जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें जी को कि विमाग हारा धड़ \*\* माली वे मानिपारी के निर्माण के लिए के कि कि कि वन अधिकारों के आवेदमों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्सावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत धर्षा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न सिखित पात्रों

कामण \* पात्र ग्रांव वासी का नाम

जंगल का नाम C-23

वन अधिकार का ब्यॉरा

2 तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों ा पारित करने हेतू ग्राम संमा से इसकी

उपरोक्त में से जिल्ल विकिस पार्चा का बाना 1ने प्रशानुसार सह। नहीं पाया गया:--\* पात्र ग्राम वाली का नाम

1. 2

तदानुसार ग्राम सभा दावे/इन करती है। को निरस्त सिफारिश

या

जंगल / तम क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान नाला

अधाकत हरराक्षरकृता

गानवासी / गान वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन के

चार्क में बन्ध अधिकार को अचे के कि Kansan, M.S \*\* प्रोजैक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए उन (क्रांक्या) अभिनित्रम, 1980 के अन्तर्गत वन मूमि हो

GRAM PANCHAVAT BHALL

PAGE 04

Annexure-II

अनुस्वित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

माभ समा भारती प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रातालाप	XXIII4
	दिनांक
प्रस्ताव संख्या	
प्रस्ताव संख्या	
ग्राम सभा भारती की बैठक आर में श्री/श्रीमित	त दिनाक
की बढक आ	ज (दनापरको अध्यक्षता न
म आ / श्रामा	नांग के अनुस्थित जनजाति और अन्य परम्परागा
पाम समा की बैठक आर में श्री/शीपि की गई जिसमें की मान्यता) अधिनियम, 2008	जगल/ वन
का गई ।जारान अधिमियम २०००	पा जारा के किलाक-14-30 हैक्ट्रियर बन
वन निवासी (वनु अधिकार) का ना ना लाई ** आली टी संग्र में (जिसमें लाक्निकिट विमाग द्वारा लाई ** आली टी मूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तायित है) वन अधिकारों के लि नूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तायित है। वन अधिकारों के आवेदनों	भानिपन के निर्माण के तन अधिकार समिति की
सेम्र में (जिसमें लाकानकावक विमान हो। इस अधिकारों के लि	ए दावे हेतू इस ग्राम समा पा के परतावों के साथ
म्मि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है। पारियों के आवेदनों	पर चर्चा की गई। वन आध्यमारा लिखित पानों का
क्षेत्र में (जिसमें लिंगिनोनेनेने विमाग द्वारा (जिसमें लिंगिन)नेनेने के उपयोग की मंजूरी प्रस्तायित हैं) यन अधिकारों के लिंगिन के उपयोग की मंजूरी प्रस्तायित हैं) यन अधिकारों के आवेदनों सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के	उपरान्त इस ग्राम सभा धारा । ।
	- व्यक्तिकार का ब्यौर
ariad rapid interior tipi aiai	जगल का नाम
क ० स० * पात्र ग्राम वासी का नाम	C-23
	TI CE 11 . M:
. 2.	प्राचित को प्रेवित करती
2. तदानुसार यह ग्राम समा इस दावें/इन दावों को पारित क	त्रते हुए इसे उप खण्ड स्तर का सामा
तदानुसार यह ग्राम सभा इस वाय/ इन काम	
* * 1	रही प्रति प्राया गया -
है। उपरोक्त में से निम्न लिखित पाओं का बाबा निवासकार	
कु०स० * पात्र ग्राम वासी का नाम	
1.	
2 Compare the	नी है।
2. तदानुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त कर	वा अन्य भी तत
	या नामच / मच धेल में लीई भी बन
हस प्राप्त समा का पण आवषगर समिति है कर कर है।	
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ	VI GE
<b>(</b>	अधीकृत उरसाक्षरकर्त
स्थान इसे मिल्नी	नियाम समा भारत
दिनांच	38LY.
~ 14 ~	स वेत अंत्र माल में वन अधिकार के दावे के लिए प्रस्ति के अधिकार के दावे के लिए
* गामवासी / गाम वासीयों के नाम जिन्हान ई	DEV BLOCK MAGROTA SLIPMAN KANGSIN HP
	A PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

- आवेदन किया है।
- \*\* प्रोजैक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए इन (संरक्षण) अधिनियम , 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमित दी जानी हैं।

01772626039 114 13:28

MARKET

E\_IN\_C

Annexure-V अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006 गाम सभा..... विकास खण्ड नेम्प्रेटी द्वीच्या जिला ज्यागडी (हि०प्र०) प्रतिलिपि प्रस्ताव दिनांक 6-7-22/9 प्रस्ताव संख्या..... गणपूर्ति 280 / 200 विषय (भीकिविव उप-भवं क्लाटली भवंति विभाग / सस्था को (सद्य माली रो भागारी हि क्लिंग कि प्राणी के निर्माण हेतू. पन प्राणी के लिए सहमित प्रदान करने हेतू। .....की बैष्ठक आज दिनाक ... को गई जिसमें लाजी विच्छा- गढ़िल व्याटला विमान / संस्था को सिंद आली है आतियारी सिड्ड कि जीवर्ग कि 1140 के निर्माण हेत् वान भीक हैक्टेयर यन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई। सभी ग्रामधासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह सनझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह भाम सभा उपरोक्त प्रस्ताय के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है। ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परायत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निषटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मित से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही हैं / कर ली गई है तथा प्रस्तावित ७-14-10 है क्ट्रेयर वन भूमि को १६ जिल्ली विकास किए प्राप्त समा अल्लिए सहमति दी जाती है। अधीकृत हरवासएकता स्थान नाली SECY